

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213  
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

हि० शि० बो० (43)/पेपर सेटिंग(35)/बोर्ड मद/अधिसूचना/2017/1808-58  
"अधिसूचना"

दिनांक: 16.08.2017

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 112वीं बैठक दिनांक 14.07.2016 की मद संख्या 05 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा सभी कक्षाओं/विषयों के प्रश्न पत्रों को अनुशोधित करवाने तथा जिन विषयों में पर्याप्त संख्या में पात्र अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं उनमें अध्यापकों की अनुशोधक (Moderator) के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने हेतु Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulation -1994 के अध्याय-11 के उप नियम 11.4.1\* में आवश्यक संशोधन करने तथा उप नियम 11.4.1(a) का समावेश करने का निर्णय लिया है :-

11.4 MODERATION	
Existing Provision	Approved Provisions
<p><b>11.4.1*</b> Most of the question papers shall be moderated by a team of moderators consisting of eminent scholars having at least <u>08 years</u> experience as <u>Lecturer</u> for Senior Secondary Certificate Examination (Plus One &amp; Plus Two) and <u>10years</u> experience for Middle /Matriculation Examination in the concerned subject to see their correctness and consistency with curriculum.</p>	<p><b>11.4.1*</b> All the question papers shall be moderated by a team of moderators consisting of eminent scholars. Moderators should have at least <u>08 years</u> teaching experience as <u>Lecturer</u> for Senior Secondary Certificate Examination(Plus One &amp; Plus Two) and <u>10years</u> teaching experience for Middle /Matriculation Examination in the concerned subject to see the correctness and consistency of question papers with curriculum.</p>
<p><b>11.4.2</b> The moderators shall be appointed by the Secretary.</p>	<p><b>11.4.1(a)*</b> Those subjects in which teachers / lecturers (as Moderator) are not available within the eligibility criteria set for Moderators. In all such subjects, teachers / Lecturers / trainer who are teaching in the Govt. Schools / institutes to that subject / class will moderate the question papers of such subjects to see their correctness and consistency with curriculum.</p> <p><b>11.4.2</b> -----No Change-----</p>

हरना  
सचिव

पृष्ठांक संख्या यथोपरि /

दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है जी।

1. अ० मु० सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. निदेशक, उच्चतर / प्रारम्भिक शिक्षा, हि० प्र० शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
3. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र० शिमला-5 को उपरोक्त निर्णय को हि० प्र० सरकार के राजपत्रा में प्रकाशित करने बारे।
4. वरिष्ठ निजी सचिव / निजी सचिव (अध्यक्ष / सचिव) हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अतिरिक्त सचिव / समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. समस्त सहायक सचिव / अनुभाग अधिकारी / जिला प्रबन्धक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
7. रक्षक सचिका।

सचिव

PC No.: 53 DA Code: 638

ज्ञानालोक परिसर, धर्मशाला जिला काँगड़ा(हि० प्र०)-176213  
दूरभाष/Tele: 01892-242....., 242....., 229037  
फैक्स/fax: 01892-225419, 222817

analok Parisar, Dharamshala Distt. Kangra(HP)-

पु. डाक/e-mail : hpbse2011@gmail.com  
Website : hpbse.org

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

26 AUG 2017

Tel: 01772653120 Extn. 234 email.: genbr@rediffmail.com Fax: 2812882

पृष्ठांकन संख्या- शिक्षा-उच्चतर शिक्षा(21)ए(3)33/2016-वी  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक अगस्त, 2017

- 1 सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा,  
पिन-176213 को अधिसूचना संख्या: शि0 बो0(43)/पेपर सैटिंग(35)/बोर्ड  
मद/अधिसूचना/2017-11808-58 दिनांक 16-08-2017, के सन्दर्भ में।
- 2 समस्त उप-शिक्षा निदेशक(उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, को आवश्यक कार्यवाही  
हेतु।
- 3 अधीक्षक, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को उपरोक्त  
अधिसूचना (हिन्दी व अंग्रजी) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बारे।
- 4 रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),  
हिमाचल प्रदेश